न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

मि0न0 —12/2019

अनवान : —

1. गजानन्द पुत्र श्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. कनीराम वल्द काशीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 8(2) राज0 कॉलोनाईजेशन जनरल कण्डीशन एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृत बाबत।

उपस्थिति :—श्री नरेन्द्र शर्मा प्रार्थी
श्री रामूर्ति ताखर अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 20/02/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक न0 3 बीआरडब्ल्यू के खााता सं 9/6 के मु0न0 16 के किला न0 6 ता 10, 13, 14 ,17, 18 23/2, 24 मु0न0 17 के किला न0 1 ता 5 , 9, 10 मु0 न0 18 के किला न0 1/2 कुल 4.6170है0 जिसमें नहरी 3.7070है0 बारानी 0.8850है0 गै0मु0 खाला 0.0250है0 कृषी भूमि अप्रार्थी सं 1 कनीराम के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि जिसमें से प्रार्थी गजानन्द ने मु0न0 16 के किला न0 8 ता 10 की 0.759है0 कृषी भूमि जरिए बैयनामा दिनांक 20.01.2017 को खरीद की हुई है। प्रार्थी उपर वर्णित 0.759है0 कृषी भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है एव वाद भूमि का खाता मुश्तर्का है। प्रार्थी की उपर वर्णित भूमि में आवगमन के लिए अन्यत्र कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी गजानन्द अप्रार्थी कनीराम की चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 9/6 के मु0 न0 17 के किला न0 9,10 एवं मु0न0 16 के किला 6, 7 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला में 0.013है0 रास्ता स्वीकृत करवा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं 1 ने राजीनामा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। अप्रार्थी सं 2 पेरोकार राज ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में गजानन्द पुत्र श्री बहादूरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा नजरी चक 3 बीआरडब्ल्यू प्रदर्श 1 जमाबदी चक 3 बीआरडब्ल्यू संवत 2072–75 खाता सं 9/6 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, प्रार्थी चक न0 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 9/6 के मु0न0 16 के किला न0 6 ता 10, 13, 14 ,17, 18 23/2, 24 मु0न0 17 के किला न0 1 ता 5 , 9, 10 मु0 न0 18 के किला न0 1/2 कुल 4.6170है0 जिसमें नहरी 3.7070है0 बारानी 0.8850है0 गै0मु0 खाला 0.0250है0 कृषी भूमि अप्रार्थी सं 1 कनीराम के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि जिसमें से प्रार्थी गजानन्द ने मु0न0 16 के किला न0 8 ता 10 की 0.759है0 कृषी भूमि जरिए बैयनामा दिनांक 20.01.2017 को खरीद की हुई है। प्रार्थी उपर वर्णित 0.759है0 कृषी भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है एव वाद भूमि का खाता मुश्तर्का है। प्रार्थी की उपर वर्णित भूमि में आवगमन के लिए अन्यत्र कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी गजानन्द अप्रार्थी कनीराम की चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 9/6 के मु0 न0 17 के किला न0 9,10 एवं मु0न0 16 के किला 6, 7 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला में 0.013है0 रास्ता स्वीकृत करवा पाने का मजाज कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र मुताविक राजीनामा स्वीकार करने का निवेदन किया।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 जनरल कण्डीशन एक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक न0 3 बीआरडब्ल्यू के खााता सं 9/6 के मु0न0 16 के किला न0 6 ता 10, 13, 14 ,17, 18 23/2, 24 मु0न0 17 के किला न0 1 ता 5 , 9, 10 मु0 न0 18 के किला न0 1/2 कुल 4.6170है0 जिसमें नहरी 3.7070है0 बारानी 0.8850है0 गै0मु0 खाला 0.0250है0 कृषी भूमि अप्रार्थी सं 1 कनीराम के नाम खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें से प्रार्थी गजानन्द ने मु0न0 16 के किला न0 8 ता 10 की 0.759है0 कृषी भूमि जरिए बैयनामा दिनांक 20.01.2017 को खरीद की हुई है। प्रार्थी उपर वर्णित 0.759है0 कृषी भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थी के आवागमन के लिए सुविधा व सन्तुलन को देखते हुए अप्रार्थी की चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 9/6 के मु0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

न0 17 के किला न0 9, 10 एवं मु0न0 16 के किला न0 6,7 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला में 0.013है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार रास्ते का अंकन रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ